

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 646]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014 — पौष 9, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर – 492001

रायपुर, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2014

शुद्धिपत्र

क्र. 62/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2014 –छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 को अधिसूचना क्रमांक 57/छ.रा.वि.नि.आ./2013 दिनांक 16 जनवरी 2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

उक्त विनियम के बिन्दु क्रमांक 4 की प्रथम पंक्ति में उल्लेखित “निम्नांकित विनियम” को “निम्नांकित परंतुक” पढ़ा जावे।

आयोग के आदेश से

(पी.एन. सिंह)
सचिव